ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 308-310

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

गोरखपुर में संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय : एक अध्ययन

प्रमोद कुमार चौरसिया

असि0 प्रोफेसर– शिक्षा शास्त्र संकाय, राम गिरीश राय पी0 जी0 कालेज, दुबौली, गोरखपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 24.10.2019, Revised- 28.10.2019, Accepted - 03.11.2019 E-mail: - mahesh1981.pandey@gmail.com

सारांश : ***भारत वर्ष में विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रणाली के आगमन के पश्चात स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किया गया है जिससे कि भारत जैसी विभिन्न भौगोलिक विभिन्नताओं वाले देश में शिक्षा गरीब स्त्रियों तक पहुँच सके। इन उद्देश्यों के पूर्ति हेतु भारत में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय अगस्त 2004 में खुला। कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय है जिसमें पिछड़ेध्अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति की उन बालिकाओं को शिक्षित करने का कार्य करेगी जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। यह विद्यालय पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे हैं जहाँ पर इन वर्गों की जनसंख्या अधिक होगी।***

कुंजीभूत शब्द– जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, प्रदूषण ,तत्व

साक्षरता अभियान जनसंख्या विस्फोट तथा सरकार द्वारा विभिन्न शैक्षिक संगठनों द्वारा द्विमुखी प्रवृत्ति के कारण अधिक जनसंख्या विद्यालयों की ओर उन्मुख हुई। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का अधिकार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के नित्य नये प्रयोगों ने भी लोगों का ध्यान विद्यालयों की ओर आकृष्ठ कराया। इतना होते भी आज स्त्री शिक्षा अनुपात काफी कम है और एक समाज का विस्तृत भाग आज भी अशिक्षा का शिकार बन रहा है। अतः ऐसी शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई है कि जिससे आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई एक विस्तृत भाग को शिक्षित किया जा सके। अतः साक्षरता के इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय कार्यक्रम शिक्षा बालिका प्राथमिक स्तर और महिला समाख्या के तहत संचालित करती थी, परन्तु 2007 अप्रैल में कस्तूरबा बालिका विद्यालय सर्वशिक्षा अभियान के तहत चलाया जा रहा हैं। कस्तूरबा बालिका विद्यालय विशेष रूप से सामाजिक व आर्थिक रूप से शोषितों तथा महिलाओं के लिए स्थापित किया गया है। बालिकाओं की शिक्षा प्राप्ति में मुख्य रूप से बाधक गरीबी, विद्यालय का घर से दूर होना, बीच में भी पढ़ाई छोड देने वाली बालिकाओं को पुनः शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय द्वारा प्राप्त हो रही हैं।

ऐसा सरकार का मानना है, क्या वास्तव में इसका फायदा समाज की लड़कियों को मिल रहा है, अर्थात ये केवल खानापूर्ति के लिए ही खोले गए है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, शोधकर्ता अपने शोधकार्य से इस वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करेगा तथा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के औचित्य का एक स्पष्ट रूप उभर कर समाज के सम्मुख आ सकेगा।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना अगस्त 2004 में शुरू की गयी थी। लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए (अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजातिध्अन्य पिछड़ा वर्गध् अल्पसंख्यक समुदाय) यह योजना संचालित की जा रही है। जहाँ महिला ग्रामीण देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाक के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में राष्ट्रीय साक्षरता में औसत 46. 13 और लैंगिग अंतर में असमानता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित लड़कियों के लिए सीटो का 75 प्रतिशत तथा शेष 25 प्रतिशत सीटों पर प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लड़कियों के लिए है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का विलय सर्व शिक्षा अभियान में 2007 में कर दिया गया है। यह योजना 24 राज्यों तथा एक केन्द्रशासित प्रदेश में प्रारम्भ की गयी। जो अग्रलिखित है–असम, आंध्रा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल तथा एक केन्द्रशासित प्रदेश दादर नगर हवेली।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के पीछे पिछड़े तथा गरीब वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से उनमें नयी दिशा देने की बात थी। यह विद्यालय अब परम्परागत विद्यालयों की अपेक्षा अधिक सुविधायें तथा उच्च शैक्षिक स्तर के विकास के लिए प्रारम्भ किया गया। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चलायी गयी अनेकों योजनाओं के परिणामस्वरूप बालिका शिक्षा में कोई आमूलचूक सुधार नहीं देखने को मिला। इसलिए सरकार ने इसके विकल्प

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

के रूप में कस्तूरबा बालिका विद्यालय को संचालित करने की योजना बनायी तथा इसे क्रियान्वित किया।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय उन विकासखण्डों में स्थापित किये जा रहे है जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए विकासखण्ड है अर्थात जिसकी महिला साक्षरता दर कम तथा शिक्षा में जेण्डर गैप, राष्ट्रीय जेण्डर गैप से अधिक है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा गरीबी रेखा के नीचे की उन बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है जो कभी विद्यालय नहीं गयी है अथवा शालात्यागी हैं।

विद्यालय का संचालन जनपद स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार होता है। समिति चाहे तो सीधे अपने नियंत्रण में विद्यालय का संचालन कर सकती है अथवा एन०जी०ओ० के माध्यम से संचालित करवा सकती है। स्वैच्छिक संगठनों के अहर्ता के सम्बन्ध में गाइड लाइन्स परियोजना की वेबसाइड ूनचमण्बिवउ एन०जी०ओ० से विद्यालय संचालन की दशा में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय से सम्बन्धित भूमि, भवन, राज्य सरकार के स्वामित्व में रहती है। स्वयं सेवी संस्थान विद्यालय संचालन (प्रबन्धन) के लिए उत्तरदायी रहेगी।

विशेषतायें : राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित समुदाय के बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता परख शिक्षा उपलब्ध करने के उद्देश्य से कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की योजना संचालित की जा रही है।

1. बालिकाओं में प्रतिभागी अधिकतम पद्धति द्वारा शैक्षिक उत्कृष्टता को सुनिचित करना।
2. किशोरियों में जीवन कौशल के विकास के माध्यम से उनके सशक्तिकरण को सुनिचित करना।
3. बालिकाओं को उनके अधिकतर एवं जेण्डर संवेदी सामजिक दायित्व के प्रति जागरूक होना।
4. बालिकाओं की क्षमताओं का विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

मुख्यालयः सर्व शिक्षा अभियान का मुख्यालय ही कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का मुख्यालय है। यह सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित होते है। राज्य परियोजना कार्यालय, विद्याभवन, निशांतगंज,लखनऊ से समस्त कार्यक्रम तय होते है एवं जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय अनुपालन करता है।

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक (महिला को प्राथमिकता) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिलाधिकारी द्वारा नामित दो स्वयं सेवी संस्थाएं

उपरोक्त समिति विकास खण्ड में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के सम्पूर्ण संचालन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होती है।

अध्ययनसम्पर्क केंद्रः जनपद गोरखपुर में कुल 20 विद्यालय प्रस्तावित है जिसमें 7 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हो रहे है तथा 13 विद्यालय निर्माणाधीन है, जिन ब्लाकों में यह विद्यालय चल रहे है

गोरखपुर में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय– खोराबार, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना दिसम्बर 2010 में हुई थी। यह पहले सूबा बाजार देवरिया बाईपास में संचालित हो रहा था। इस विद्यालय में 100 सीटे निर्धारित है और यहां 100 छात्रायें अध्ययनरत है। चरगावां ब्लाक में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय जनवरी 2011 से संचालित हो रहा है, इससे पहले यह विद्यालय जंगल सीकरी में 2004 से संचालित किया जा रहा था। यहां पर भी 100 सीटे निर्धारित है और यहां पर 98 छात्रायें अध्ययनरत है।पिपरौली ब्लाक में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना 2011 –12 सत्र से संचालित हो रहा है यहां पर 100 सीटे निर्धारित है और यहां पर 90 छात्रायें अध्ययनरत है। कैम्पियरगंज (मुख्य), कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना 2005 –06 से संचालित हो रहा है। इसमें 100 सीटे है तथा यहां पर 100 छात्रायें है। पिपराईच–यहां पर कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का संचालन 2006 –07 से हो रहा है और यहां पर 100 सीटे है तथा 95 छात्रायें अध्ययनरत है। कैम्पियरगंज (जंगल)–यहां कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का संचालन 2008 –09 से हो रहा है और यहां पर 100 सीटे है तथा 92 छात्रायें पंजीकृत है।ब्रहापुर, यहां पर कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का संचालन 2005 से हो रहा है और यहां पर 100 सीटे है तथा 98 छात्राओं का पंजीकरण है।

स्टॉफ–चयनः कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालन हेतु अलग से स्टॉफ की व्यवस्था है। अध्यापकों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम के सभी विषयों यथा हिन्दी, अंग्रेजी, गणित (अंकगणित, बीज गणित तथा ज्योमिति), सामाजिक विषय (इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र), कला , संगीत , वाणिज्य, गृहशिल्प, शारीरिक शिक्षा, खेल तथा योगासन, स्काउटिंग एवं गाइडिंग, नैतिक शिक्षा तथा कम्प्यूटर शिक्षा का अध्यापन गुणवत्ता ढंग से सुनिश्चित हो सकें।

कला, क्राफ्ट एवं संगीत 01 वार्डेन जिस विषय की होगी, उस विषय हेतु अलग से शिक्षिका का चयन नहीं किया जायेगा। चयन समिति अनुमन्य पदों पर चयन के सन्दर्भ विषयों ध्यान रखेगी। गणित, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा ६ कला, क्राफ्ट एवं संगीत हेतु प्रस्तावित 02 शिक्षकों में से यथा सम्भव 01 पूर्णकालिक शिक्षक तथा 01 अंशकालिक शिक्षक होगा।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

उपयुक्त कर्मचारियों की तैनाती संविदा के आधार पर 11 माह के लिए की जाती है। इस हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

1. वार्डेन कम शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाता है। चयन के उपरान्त वार्डेन का विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होता है ।
2. पूर्ण कालिक शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाता है।
3. चयन के पश्चात् सम्बन्धित विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य होता है।
4. पार्ट टाइम शिक्षक के पद पर प्राथमिक के तौर पर महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाता है ।
5. शिक्षकध्शिक्षणेत्तर कर्मचारी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो तथा अनुभव को वरीयता प्रदान की जाती है।
6. उपयुक्त समस्त पद एक वर्ष के लिए संविदा आध ाारित होता है तथा कार्य संतोषजनक होने की दशा में जनपद स्तरीय कमेटी के सत्यापन के उपरान्त प्रतिवर्ष कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है ।
7. चयन के नियमानुसार आरक्षण देय होता है ।

यदि संचालन स्वयं सेवी संगठन द्वारा कराया जाता है तो उपयुक्त पदों पर नियुक्ति सम्बन्धित स्वयं सेवी संगठन, महिला संगठन द्वारा की जाएगी।

चयन प्रक्रियाः कम से कम दो प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन किया जायेगा तथा आवेदन हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। चयन का विज्ञापन जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में अवश्य चस्पा किया जाये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गाँधी, जे.(1989) : फिफ्थ सर्वे ऑफ एजूकेशनल रिसर्च NCERT नई दिल्ली, पृष्ठ 1018
2. National Council of Educational : SiÛth I India Education Survey Research and Training] New (main report) Delhi(2001)
3. National Council of Educational :e ducation of Girls in India) Progress and Research and Training] New Prospects Delhi)(2003)
4. National Institute of Educational (Elementry Education in India where do Planning and Administration) we stand\ District Report cards 2003) NewDelhi(2003) volume I & II-
5. यूनिसेफ दुनिया के बच्चों की स्थिति 2004
6. National Council of Educational: compendium of Educational Statistics Research and Training] New (School Education)Delhi)(2004)

*****